

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2023—अग्रहायण 3, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनायें

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम अरविन्द कुमार जाटव (ARVIND KUMAR JATAV) था, जो कि मेरे पूर्व शैक्षणिक रिकार्ड एवं शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में दर्ज है।

अब मेरा सही एवं वास्तविक नाम अरविन्द त्यागी (ARVIND TYAGI) पिता श्री आशाराम (ASHARAM) हो गया है, यह दोनों नाम मेरे हैं। अब भविष्य में मुझे अरविन्द त्यागी (ARVIND TYAGI) के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम
(अरविन्द कुमार जाटव)
(ARVIND KUMAR JATAV)

नया नाम
(अरविन्द त्यागी)
(ARVIND TYAGI)
पता—मकान नं. 3/1-बी,
सुन्दर नगर, अशोका गार्डन,
भोपाल (म.प्र.).

(G-2224)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एम. आर. गुड्स (M/S M.R. GOODS) साझेदारी फर्म 5 मार्च, 2022 से
अस्तित्व में है। जिसका कार्यालय 95, ग्राउंड फ्लोर के मैशन चंदोरकर का बाड़ा जयेन्द्रगंज, ग्वालियर मध्यप्रदेश 474009
पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0043/22, एवं पंजीयन दिनांक 12 जून, 2022 है।

जिसका संशोधित विलेख दिनांक 7 जुलाई 2023 को सम्पादित हुआ जो इस प्रकार है कि श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल फर्म में साझेदार के रूप में समिलित हुए हैं एवं श्रीमती मेनका अग्रवाल पत्नी श्री अंशुमान अग्रवाल स्वेच्छा से त्याग—पत्र देकर फर्म से हट रही हैं। आमजन सूचित हों।

मेसर्स एम.आर. गुडस

(पार्थ अग्रवाल)

(पार्टनर)

कार्यालय— 95, ग्राउंड फ्लोर के के मैशन,

चंदोरकर का बाड़ा, जयेन्द्रगंज,

ग्वालियर (म.प्र.)

(G-2225)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम ब्रजेश अहिरवार पिता नंदराम है जो कि अब मैं, समस्त दस्तावेजों पर अपना नाम ब्रजेश राजोरिया पिता नंदराम दर्ज करवाना चाहता हूँ। अब मैं, भविष्य में ब्रजेश राजोरिया पिता नंदराम नाम से जाना, पहचाना जाऊंगा। उपरोक्त दोनों नाम ब्रजेश अहिरवार पिता नंदराम व ब्रजेश राजोरिया पिता नंदराम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं।

अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम ब्रजेश राजोरिया पिता नंदराम के नाम से जाना, पहचाना, लिखा—पढ़ा व बोला जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(ब्रजेश अहिरवार)

(ब्रजेश राजोरिया)

पिता—नंदराम

(G-2226)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी सेवा पुस्तिका एवं शासकीय दस्तावेजों में नाम हाकिम सिंह जाटव पुत्र श्री रामचरन सिंह जाटव, दर्ज है मैंने अपना नाम हाकिम सिंह जाटव पुत्र श्री रामचरन सिंह जाटव के स्थान पर हाकिम सिंह कैन पुत्र श्री रामचरन सिंह जाटव रख लिया है। भविष्य में मुझे हाकिम सिंह कैन पुत्र श्री रामचरन सिंह जाटव के नाम से ही जाना—पहचाना व पुकारा, पढ़ा—लिखा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(हाकिम सिंह जाटव)

(हाकिम सिंह कैन)

पुत्र श्री रामचरन सिंह जाटव,

निवासी— बी / 176, आनंद नगर, ए ब्लाक

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2227)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती स्वर्णा सिसोदिया (Swarna Sisodiya) पत्नी श्री प्रताप सिसोदिया निवासी:— लिटिल फ्लावर विद्यालय के पास, 102 रीजेन्सी मून, 7—मेनन कॉलोनी, खजराना रोड, इंदौर (म.प्र.) हूँ। विवाह के

पूर्व मेरा नाम कुमारी स्वर्णलता जैन (Kumari Swarnlata Jain) था तथा मेरे पूर्व के दस्तावेजों में मेरा यही नाम अंकित था किंतु विवाह पश्चात् मेरा नाम संशोधित होकर श्रीमती स्वर्णा सिसोदिया (Swarna Sisodiya) घर का नाम सोना सिसोदिया (Sona Sisodiya) पत्नी श्री प्रताप सिसोदिया हो गया है, मैं इसी नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाती हूं एवं भविष्य में भी मुझे नये नाम श्रीमती स्वर्णा सिसोदिया (Swarna Sisodiya) पत्नी श्री प्रताप सिसोदिया के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम	नया नाम
(कुमारी स्वर्णलता जैन)	(स्वर्णा सिसोदिया)
(Kumari Swarnlata Jain)	(Swarna Sisodiya)

पत्नी— श्री प्रताप सिसोदिया,

(G-2228)

नाम परिवर्तन

मैं, बुद्धसेन प्रसाद तिवारी (सेवानिवृत्त) पिता स्व. शोभ नाथ तिवारी निवासी—म.नं. 1796, रीवा कॉलोनी, रामपुर (शिवमंदिर के आगे) पोस्ट— विद्युतनगर, जबलपुर (म.प्र.) मेरे आर्मी रिकार्ड में एवं पी.पी.ओ. (P.P.O) में मेरा नाम बुधसेन प्रसाद (BUDHSEN PRASAD) दर्ज है। जबकि मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में बुद्धसेन प्रसाद तिवारी (BUDDHSEN PRASAD TIWARI) दर्ज है। जो कि एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे ही नाम है। अतः मेरे सर्विस रिकार्ड व पी.पी.ओ. (P.P.O.) में मेरा नाम बुद्धसेन प्रसाद तिवारी (BUDDHSEN PRASAD TIWARI) लिखा, पढ़ा दर्ज किया जाये।

पुराना नाम	नया नाम
(बुधसेन प्रसाद)	(बुद्धसेन प्रसाद तिवारी)
(BUDHSEN PRASAD)	(BUDDHSEN PRASAD TIWARI)

पिता—स्व. शोभ नाथ तिवारी।

(G-2229)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जी. के. ट्रांसपोर्ट कं. (ट्रांसपोर्ट डिवीजन), जिसका पता—बाईपास रोड परासिया, जिला—छिंदवाड़ा (म.प्र.) एवं पंजीयन क्रमांक 04/17/03/0033/19 सन् 2019—2020, दिनांक 07—06—2019 जो कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। जिसका गठन दिनांक 01—04—2008 को हुआ जिसमें चार भागीदार श्री एस. मंजीत सिंह खंडूजा, श्री एस. हरमिंदर सिंह खंडूजा, श्री एस. तलविंदर सिंह खंडूजा, और श्रीमती रश्मीत कौर खंडूजा थे, जिसमें से भागीदार श्री एस. मंजीत सिंह खंडूजा और श्रीमती रश्मीत कौर खंडूजा अपनी स्वेच्छा से दिनांक 31—03—2011 को उक्त फर्म से रिटायर हुए। फर्म के दो भागीदारी के रिटायर पश्चात् शेष दोनों भागीदार श्री एस. तलविंदर सिंह खंडूजा और श्री एस. हरमिंदर सिंह खंडूजा उक्त फर्म में बने रहे। उसके उपरांत दिनांक 17—07—2023 को भागीदार श्री एस. हरमिंदर सिंह खंडूजा अपनी स्वेच्छा से फर्म से रिटायर हो गए, और फर्म में नयी भागीदार श्रीमती सोनल कौर खंडूजा शामिल हुई। शेष दो भागीदार श्री एस. तलविंदर सिंह खंडूजा और श्रीमती सोनल कौर खंडूजा यथावत उक्त फर्म में बने रहेंगे।

मेसर्स जी. के. ट्रांसपोर्ट कं. (ट्रांसपोर्ट डिवीजन)
 (एस. तलविंदर सिंह खंडूजा)
 (पार्टनर)

(G-2230)

आम सूचना

आम सूचना के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को गठित होकर क्रियाशील हुई भागीदारी फर्म मेसर्स/एच.बी. प्रोडक्ट्स के समस्त भागीदार क्रमशः 1. नारद कुमार जैन तनय स्व. श्री लक्ष्मीचंद जैन, 2. प्राची जैन पुत्री श्री नारद कुमार जैन, निवासी अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, सागर मध्यप्रदेश, 3. प्रज्ञा जैन पुत्री श्री नारद कुमार जैन, निवासी अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, सागर मध्यप्रदेश में से दिनांक 30-06-2017 को पक्षकार क्रमांक 2 व पक्षकार क्रमांक 3 अपनी स्वेच्छा से प्रथक हो गये हैं। जिसके उपरांत भागीदारी फर्म दिनांक 30-06-2017 से भंग की जा रही है। 3 अपनी स्वेच्छा से प्रथक हो गये हैं। जिसके उपरांत भागीदारी फर्म दिनांक 30-06-2017 से भंग की जा रही है। अतः अब से आंकड़ा अनुसार लेने-देने की जिम्मेवारी श्री नारद कुमार जैन की रहेगी तथा अब से फर्म के नफा नुकसान के जिम्मेदार श्री नारद कुमार जैन होंगे एवं निवृतमान पक्षकार फर्म में न तो अपना हक बता सकेंगे न ही किसी भी प्रकार की नुकसान की भरपाई के लिए बाध्य होंगे।

यह कि ऐसा कोई भी प्रकरण जो दिनांक 30-06-2017 तक लम्बित है उसे सभी पक्षकार मिलकर निवारण करेंगे। तथा किसी भी प्रकार के कर, ब्याज की राशि का अपने-अपने भागीदारी प्रतिशत के अनुसार भुगतान करेंगे। अर्थात् यह भंग भागीदारी पत्रक दिनांक 30-06-2017 को व्यवसायिक गतिविधियों की समाप्ति के बाद दिनांक 01-07-2017 से प्रभावशील मानते हुये लेखबद्ध किया गया है। सर्वसाधारण को सूचनार्थ।

मेसर्स एच. बी. प्रोडक्ट्स,
वास्ते-(नारद कुमार जैन)
(भागीदार)

(G-2231)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुनेत्रा जैन पति श्री आनंद जैन सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र निखिल जैन की शैक्षणिक रिकार्ड में नुटिवश मेरे घर का नाम पिंकी जैन (PINKI JAIN) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। मेरे समस्त शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सुनेत्रा जैन (SUNETRA JAIN) है, पिंकी जैन एवं सुनेत्रा जैन दोनों मेरे ही नाम हैं। प्रकाशन उपरांत मुझे सुनेत्रा जैन (SUNETRA JAIN) के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा पढ़ा एवं पुकारा जाये।

पुराना नाम
(पिंकी जैन)
(PINKI JAIN)

(G-2232)

नया नाम
(सुनेत्रा जैन)
(SUNETRA JAIN)

पति श्री आनंद जैन,
सावरकर वार्ड नई बस्ती, कटनी,
जिला कटनी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सभी शासकीय दस्तावेजों में गीता ऐडे एवं कही दस्तावेजों में कवीता ऐडे दर्ज हैं तथा समस्त शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम गीता कटरे हैं। मैं, गीता ऐडे और कविता ऐडे एक ही महिला का नाम है। भविष्य में मुझे गीता ऐडे के नाम से ही जाना-पहचाना जाएगा।

पुराना नाम
(कविता ऐडे उर्फ गीता ऐडे)

(G-2233)

नया नाम
(गीता ऐडे)
पति-श्री रविन्द्र ऐडे,
पता-101, सतज्जन कॉलोनी, छोला रोड़,
हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मो. ज़फर इकराम मंसूरी आत्मज श्री इकराम उर रहीम मंसूरी निवासी बी-76 माचना कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल.
यह कि मेरे शैक्षणिक रिकार्ड अंकसूची में मेरा नाम त्रुटिवश मो. ज़फर इकराम आत्मज श्री इकराम मंसूरी अंकित है, जिसमें सुधार कर मो. ज़फर इकराम मंसूरी आत्मज श्री इकराम उर रहीम मंसूरी लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जाये।

पुराना नाम
(मो. ज़फर इकराम)
आत्मज श्री इकराम मंसूरी

नया नाम
(मो. ज़फर इकराम मंसूरी)
आत्मज श्री इकराम उर रहीम मंसूरी.
(Mohd. Zafar Ikram Mansoori)
S/o Ikram ur Rahim Mansoori.

(G-2234)

नाम परिवर्तन

मैं, धारा यदुवंशी (Dhara Yaduvanshi) आत्मज शंकर चंद्रवंशी सर्वसाधारण को सूचित करता हूं मेरे सभी शासकीय / दस्तावेजों में मेरा नाम धारा यदुवंशी (Dhara Yaduvanshi) है जोकि सही है परंतु मेरे आधार कार्ड में लिपिक त्रुटि से मेरे घर का नाम सिकंदर चंद्रवंशी (Sikander Chandravanshi) दर्ज हो गया जो कि गलत है। सिकंदर चंद्रवंशी और धारा यदुवंशी दोनों मेरे ही नाम हैं इस विज्ञप्ति के बाद मुझे धारा यदुवंशी (Dhara Yaduvanshi) के नाम से ही जाना पहचाना और पुकारा जाए।

पुराना नाम
(सिकंदर चंद्रवंशी)
(Sikander Chandravanshi)

नया नाम
(धारा यदुवंशी)
(Dhara Yaduvanshi)

(G-2235)

उपनाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता रंजना गर्ग पत्नी मोहनलाल अग्रवाल का शादी के पूर्व मेरा नाम रंजना अग्रवाल था। विवाह पश्चात् मेरा नाम रंजना गर्ग है, मेरे दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड में भी मेरा नाम रंजना गर्ग पत्नी मोहनलाल अग्रवाल लिखा हुआ है। अतः शादी के बाद मुझे सभी रंजना गर्ग पत्नी मोहनलाल अग्रवाल के नाम से जानते एवं पहचानते हैं तथा भविष्य में भी मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम
(रंजना अग्रवाल)

नया नाम
(रंजना गर्ग)
पत्नी श्री मोहनलाल अग्रवाल
पता— मोहन सेल्स एजेन्सी, बैंक ऑफ इंडिया
के पास, सेन्ट्रल लाइब्रेरी के बगल में,
दत्त मंदिर, बाड़ा, लक्षकर ग्वालियर (म.प्र.)।

(G-2236)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स रामराजा ग्रेनाइट पता 01, दिदवारा तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) 471515 पंजीयन क्रमांक 06-12-04-0109-17 दिनांक 21-11-2017 से भागीदारी फर्म है, उक्त फर्म में पंजीयन के समय श्री देवेन्द्र शिवहरे व श्रीमती नेहा शिवहरे भागीदार थे उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01-04-2019 को श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, श्रीमती राज अग्रवाल, श्री सूरज प्रसाद गुप्ता, श्रीमती उर्मिला गुप्ता, श्री विपुल कुमार अग्रवाल व श्री संजय जोशी को फर्म की भागीदारी में सम्मिलित किया गया था। पुनः फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 21-12-2022 को श्री संजय जोशी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हो गये, उक्त दिनांक 21-12-2022 को श्री उपेन्द्र कुमार गुप्ता फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया वर्तमान में फर्म में श्री देवेन्द्र शिवहरे, श्रीमती नेहा शिवहरे, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, श्रीमती राज अग्रवाल, श्री सूरज प्रसाद गुप्ता, श्रीमती उर्मिला गुप्ता, श्री विपुल कुमार अग्रवाल व श्री उपेन्द्र कुमार गुप्ता भागीदार हैं, फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है।

मेसर्स रामराजा ग्रेनाइट

(देवेन्द्र शिवहरे)

(भागीदार)

पता 01, दिदवारा तहसील लवकुशनगर

जिला छतरपुर (म.प्र.)

(G-2237)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स तेजस स्टोन क्रेशर, पता— म.नं. 63, सनसिटी कॉलोनी, छतरपुर (म.प्र.) है, जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/01/0028/18, दिनांक 06-07-2018 भागीदारी फर्म है, उक्त फर्म में पंजीयन के समय श्री प्रदीप सिंह व श्री अकील अहमद भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 13-12-2018 को श्री देवेन्द्र शिवहरे फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में फर्म में श्री प्रदीप सिंह, श्री अकील अहमद व श्री देवेन्द्र शिवहरे भागीदार हैं।

मेसर्स तेजस स्टोन क्रेशर,

(प्रदीप सिंह)

(भागीदार)

पता— म.नं. 63, सनसिटी कॉलोनी, छतरपुर (म.प्र.)

(G-2238)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम दबिस्ता मलिक है। अब मैं, अपनी पुत्री का नाम बदलकर इकरा मलिक करना चाहता हूँ। भविष्य में मेरी पुत्री को दबिस्ता मलिक के स्थान पर इकरा मलिक नाम से जाना—पहचाना जाये। वह शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेज में नाम इकरा मलिक मान्य किया जावे।

पुराना नाम
(दबिस्ता मलिक)

नया नाम
(इकरा मलिक)
पिता—श्री वसीम मलिक,
निवासी— 103, आलोक नगर,
कनडिय रोड, इन्दौर (म.प्र.)

(G-2239)

अन्य सूचनाएं
कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर

क्र./पंजीयन/2023/2005

सागर, दिनांक 10 अक्टूबर 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
 मर्या., (बी-पैक्स), नरयावली, शाखा—नरयावली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) नरयावली, पंजीयन क्रमांक 220 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2240)

क्र./पंजीयन/2023/2006

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), जरुआखेड़ा, शाखा—नरयावली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) जरुआखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 768 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2241)

क्र./पंजीयन/2023/2007

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), कनेरानीखर, शाखा—नरयावली।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक /सी.पी.ओ.-0066 /2023 /15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) कनेरानीखर, पंजीयन क्रमांक 117 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2242)

क्र./पंजीयन/2023/2008

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), खाकरौन, शाखा-नरयावली।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक /सी.पी.ओ.--0066 /2023 /15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) खाकरौन, पंजीयन क्रमांक 57 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2243)

क्र./पंजीयन/2023/2009

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी—पैक्स), जेरई, शाखा—नरयावली।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) जेरई, पंजीयन क्रमांक 47 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की आरा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता है कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2244)

क्र./पंजीयन/2023/2010

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), जैसीनगर, शाखा—जैसीनगर।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) जैसीनगर, पंजीयन क्रमांक 41 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता है कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2245)

क्र./पंजीयन/2023/2011

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), रीछई, शाखा—जैसीनगर.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24—02—2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.—0066/2023/15—3, दिनांक 17—02—2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19—07—2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29—08—2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) रीछई, पंजीयन क्रमांक 64 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26—07—1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01—12—2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2246)

क्र./पंजीयन/2023/2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), पड़रई, शाखा—जैसीनगर।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24—02—2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) पड़रई, पंजीयन क्रमांक 782 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2247)

क्र./पंजीयन/2023/2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी—पैक्स), सेमाडाना, शाखा—जैसीनगर।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) सेमाढाना, पंजीयन क्रमांक 28 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26—07—1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता है कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01—12—2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2248)

क्र./पंजीयन/2023/2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), सत्ताढाना, शाखा—जैसीनगर।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24—02—2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.—0066/2023/15—3, दिनांक 17—02—2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19—07—2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29—08—2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) सत्ताढाना, पंजीयन क्रमांक 71 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26—07—1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय

अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01–12–2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2249)

क्र./पंजीयन / 2023 / 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक / सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), करैया, शाखा—जैसीनगर।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक / साख / विधि / 2023 / 680, भोपाल, दिनांक 24–02–2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक / सी.पी.ओ.—0066 / 2023 / 15–3, दिनांक 17–02–2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख / विधि / 2023 / 2035, भोपाल, दिनांक 19–07–2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख / विधि / 2023 / 2398, भोपाल, दिनांक 29–08–2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) करैया, पंजीयन क्रमांक 98 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी / ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो / तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26–07–1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01–12–2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2250)

क्र./पंजीयन/2023/2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), पनारी, शाखा-जैसीनगर.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) पनारी, पंजीयन क्रमांक 134 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है), को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की आधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2251)

क./पंजीयन/2023/2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), हड़ाकंदेला, शाखा-जैसीनगर।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) हड्डाकंदेला पंजीयन क्रमांक 438 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिएटी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता है कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2252)

क्र./पंजीयन/2023/2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), मसुरयाई, शाखा-राहतगढ़।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) मसुरर्याई, पंजीयन क्रमांक 822 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/ तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता है कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/ सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2253)

क्र./पंजीयन/2023/2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/ सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), ढकरई, शाखा-राहतगढ़।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/ 2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) ढकरई पंजीयन क्रमांक 62 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/ तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16

की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01–12–2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2254)

क्र./पंजीयन/2023/2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी—पैक्स), राहतगढ़, शाखा—राहतगढ़।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17–02–2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19–07–2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29–08–2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) राहतगढ़, पंजीयन क्रमांक 897 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन संघीय स्तरीय अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26–07–1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01–12–2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2255)

क्र./पंजीयन/2023/2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), बेरखेड़ी सड़क, शाखा-राहतगढ़.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/ 2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बेरखेड़ी सड़क, पंजीयन क्रमांक 1006 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय की शक्तियों का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2256)

क्र./पंजीयन/2023/2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), मानकी सलैया, शाखा-राहतगढ़.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/ 2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) मानकी सलैया, पंजीयन क्रमांक 753 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय की अभियक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर शाहूकार या शाहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2257)

क्र./पंजीयन/2023/2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक / सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), ऐरनमिर्जापुर, शाखा-राहतगढ़।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक / साख / विधि / 2023 / 680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) ऐरनमिर्जापुर, पंजीयन क्रमांक 892 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26—07—1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01—12—2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2258)

क्र./पंजीयन/2023/2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), सेमराङ्गिला, शाखा—राहतगढ़।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24—02—2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.—0066/2023/15—3, दिनांक 17—02—2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19—07—2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29—08—2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) सेमराङ्गिला, पंजीयन क्रमांक 915 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26—07—1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16

की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01–12–2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2259)

क्र./पंजीयन/2023/2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी—पैक्स), झिला, शाखा—राहतगढ़।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24–02–2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.–0066/2023/15–3, दिनांक 17–02–2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19–07–2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29–08–2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) झिला, पंजीयन क्रमांक 857 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26–07–1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01–12–2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2260)

क्र./पंजीयन/2023/2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक / सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), भैंसा, शाखा—राहतगढ़.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक / साख / विधि / 2023/680, भोपाल, दिनांक 24—02—2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक / सी.पी.ओ.—0066/2023/15—3, दिनांक 17—02—2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19—07—2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29—08—2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) भैंसा, पंजीयन क्रमांक 09 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स), पंजीयन क्रमांक 09 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26—07—1999 के द्वारा डिएटी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01—12—2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2261)

क्र./पंजीयन/2023/2027

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक / सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), सीहोरा, शाखा—राहतगढ़.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक / साख / विधि / 2023/680, भोपाल, दिनांक 24—02—2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक / सी.पी.ओ.—0066/2023/15—3, दिनांक 17—02—2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) सीहोरा, पंजीयन क्रमांक 72 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2262)

क्र./पंजीयन/2023/2028

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), हिरनखेड़ा, शाखा-राहतगढ़।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) हिरनखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1005 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16

की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 01–12–2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2263)

क्र./पंजीयन/2023/2062

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), बीनाबारहा, शाखा—देवरी।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/
2023/680, भोपाल, दिनांक 24–02–2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र
क्रमांक/सी.पी.ओ.–0066/2023/15–3, दिनांक 17–02–2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि
प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की
गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय
लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल,
दिनांक 19–07–2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत
करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29–08–2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि
साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) बीनाबारहा, पंजीयन क्रमांक 601 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन
के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की
उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी
को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26–07–1999
के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16
की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय
अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश
सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई
साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की
राय सहित दिनांक 06–12–2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2264)

क्र./पंजीयन/2023/2063

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), देवरीकलां, शाखा—देवरी.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24—02—2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.—0066/2023/15—3, दिनांक 17—02—2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19—07—2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29—08—2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) देवरीकलां, पंजीयन क्रमांक 666 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26—07—1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6—12—2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2265)

क्र./पंजीयन/2023/2064

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), बेलढाना, शाखा—देवरी।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24—02—2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बेलढाना, पंजीयन क्रमांक 756 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिस्ट्री रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय की अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2266)

क्र./पंजीयन/2023/2065

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), सिंगपुर, शाखा-देवरी।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) सिंगपुर, पंजीयन क्रमांक 365 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी / ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो / तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिटी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य / सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2267)

क्र./पंजीयन/2023/2066

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक / सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), जमुनिया पंडित, शाखा-देवरी।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक / साख / विधि / 2023 / 680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) जमुनिया पंडित, पंजीयन क्रमांक 665 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी / ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो / तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2268)

क्र./पंजीयन / 2023 / 2067

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), ज्वापकलमेटा, शाखा-देवरी।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) ज्वापकलमेटा, पंजीयन क्रमांक 493 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2269)

क्र./पंजीयन/2023/2068

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), जैतपुर पिपरिया, शाखा-देवरी.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) जैतपुर पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 382 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2270)

क्र./पंजीयन/2023/2069

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), महाराजपुर, शाखा-देवरी।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) महाराजपुर पंजीयन क्रमांक 666 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 06-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2271)

क्र./पंजीयन/2023/2070

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी—पैक्स), डोभी, शाखा—देवरी।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) डोभी, पंजीयन क्रमांक 639 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता है कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 06-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2272)

क्र./पंजीयन/2023/2071

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), रीछई, शाखा-देवरी।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) रीछई, पंजीयन क्रमांक 751 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय

अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 06-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2273)

क्र./पंजीयन / 2023 / 2072

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), रसेना, शाखा-देवरी।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) रसेना, पंजीयन क्रमांक 664 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 06-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2274)

क्र./पंजीयन/2023/2073

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
 मर्या., (बी—पैक्स), मढ़पिपरिया, शाखा—देवरी।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/ 2023/680, भोपाल, दिनांक 24—02—2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.—0066/2023/15—3, दिनांक 17—02—2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2035, भोपाल, दिनांक 19—07—2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29—08—2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) मढ़पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 798 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है), को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26—07—1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 06—12—2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2275)

क्र./पंजीयन/2023/2074

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
 मर्या., (बी—पैक्स), बोरिया, शाखा—गौरज्ञामर।
 कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/ 2023/680, भोपाल, दिनांक 24—02—2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बोरिया पंजीयन क्रमांक 995 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता है कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2276)

क्र./पंजीयन/2023/2075

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), नयानगर, शाखा-गौरज्ञामर।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) नयानगर, पंजीयन क्रमांक 743 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता है कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2277)

क्र./पंजीयन/2023/2076

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी—पैक्स), गौरज्ञामर, शाखा—गौरज्ञामर.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) गौरज्ञामर, पंजीयन क्रमांक 136 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16

की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6—12—2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2278)

क्र./पंजीयन/2023/2077

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), बरकोटीकलां, शाखा—गौरज्ञामर.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24—02—2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.—0066/2023/15—3, दिनांक 17—02—2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19—07—2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29—08—2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) बरकोटीकलां, पंजीयन क्रमांक 362 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26—07—1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6—12—2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2279)

क्र./पंजीयन/2023/2078

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी—पैक्स), चरगुवां, शाखा—गौरज्ञामर.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) चरगुवां, पंजीयन क्रमांक 1028 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2280)

क्र./पंजीयन/2023/2079

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी—पैक्स), नाहरमऊ, शाखा—गौरज्ञामर.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) नाहरमऊ, पंजीयन क्रमांक 439 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2281)

क्र./पंजीयन/2023/2080

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), केसली, शाखा-केसली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) केसली, पंजीयन क्रमांक 751 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/ तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता है कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/ सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 06-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2282)

क्र./ पंजीयन / 2023 / 2081

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/ सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), जरुआ, शाखा—केसली।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ साख/ विधि/ 2023/ 680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/ सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./ साख/ विधि/ 2023 / 2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./ साख/ विधि/ 2023 / 2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) जरुआ, पंजीयन क्रमांक 692 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/ तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16

की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 06–12–2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2283)

क्र./पंजीयन/2023/2082

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), देवरीखुर्द, शाखा—केसली।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24–02–2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.–0066/2023/15–3, दिनांक 17–02–2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19–07–2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29–08–2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) देवरीखुर्द, पंजीयन क्रमांक 684 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26–07–1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 06–12–2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2284)

क्र./पंजीयन/2023/2083

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), पलोह, शाखा-केसली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/ 2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) पलोह, पंजीयन क्रमांक 705 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता है कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 06-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2285)

क्र./पंजीयन/2023/2084

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), टड़ाखास, शाखा-केसली।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/ 2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) टड़ाखास, पंजीयन क्रमांक 750 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 06-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2286)

क्र./पंजीयन/2023/2085

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी—पैक्स), पटना सरियापानी, शाखा—केसली।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 679 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी—पैक्स) पटना सरियापानी, पंजीयन क्रमांक 1005 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय

अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2287)

क्र./पंजीयन / 2023 / 2086

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), सहजपुर, शाखा-केसली।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) सहजपुर, पंजीयन क्रमांक 683 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिएस्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2288)

क्र./पंजीयन/2023/2087

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), मुहली, शाखा-केसली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/क्रमांक/आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/पत्र 2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) मुहली, पंजीयन क्रमांक 804 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 06-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2289)

क्र./पंजीयन/2023/2088

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), बम्होरी, शाखा-केसली।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/क्रमांक/आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बम्होरी, पंजीयन क्रमांक 668 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिएस्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना—पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2290)

क्र./पंजीयन/2023/2089

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), थावरी, शाखा—केसली।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक / सी.पी.ओ.-0066 / 2023 / 15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) थावरी, पंजीयन क्रमांक 762 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 6-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2291)

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2023—अग्रहायण 3, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)